कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ *& Fax (05962) 231099 Fax230397*

पत्रांक 43 /12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 02-07-2020 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **लछैर से कटियानी मोटर मार्ग लम्बाई–12.00 कि0मी0 प्रस्ताव संख्या 41149/2019।**

संदर्भ :– भारत सरकार की आपत्ति दिनांक 13.02.2020 ।

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले 35 बाँज वृक्षों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पृथक से निरीक्षण नहीं किया गया था। आपके द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.10.2019 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव में सहमति व्यक्त करते हुए स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी थी। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी स्तर से संयुक्त निरीक्षण किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रकरण के निस्तारण/संयुक्त निरीक्षण हेतु कोई तिथि निर्धारण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में आज तक दूरभाष एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया। इससे आभाष होता है कि प्रस्तावक विभाग को उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में आप अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें। यदि प्रस्तावक विभाग को प्रस्तावित वन भूमि की कोई आवश्यकता नहीं हो तो, नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव ऑनलाईन के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा